

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/ ए.एफ, बिधाननगर / 1/AF, Bidhannagar
कोलकाता/Kolkata-700 064

सं./Ref : VECC/Admn./CHSS/2024/ 11069

जुलाई/ July 12, 2024

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: सीएचएसएस, वीईसीसी के अधीन अस्पताल आवास की पात्रता का पुनर्वर्गीकरण।
Subject : Re-classification of entitlements of hospital accommodation under CHSS, VECC.

परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 13.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2016/IR&W/4909 के अनुसार, जिसमें इनपेशेंट उपचार के लिए रेफरल/पैनल अस्पतालों में आवास की पात्रता को पुनर्वर्गीकृत किया गया है, इसीलिए वीईसीसी द्वारा जारी सीएचएसएस कार्ड में आवास पात्रता को बदलने की आवश्यकता है। तदनुसार, दिनांक 05.06.2023 का परिपत्र संख्या VECC/CHSS/2023/(1)/2023/818 जारी किया गया, जिसमें सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त लाभार्थियों से अनुरोध किया गया कि वे आवास पात्रता में परिवर्तन करने के लिए इस अनुभाग को सीएचएसएस कार्ड प्रस्तुत करें।

Pursuant to OM No. 7/16/2016/IR&W/4909 dated 13.04.2023 of DAE re-classifying the entitlement of accommodation in referral/panel hospitals for inpatient treatment, there arose a necessity to change the accommodation entitlement in CHSS cards issued by VECC. Accordingly, a Circular No.VECC/CHSS/2023/(1)/2023/818 dated 05.06.2023 was issued requesting all serving and retired beneficiaries to submit CHSS cards to the Section for making changes with regard to accommodation entitlement.

02. यह देखते हुए कि कई लाभार्थियों ने अभी तक परिवर्तन के लिए अपने कार्ड जमा नहीं किए हैं, इस संबंध में दिनांक 11.08.2023 का परिपत्र संख्या VECC/Admn./CHSS/ 2023/1326 जारी किया गया था। सभी लाभार्थियों की जानकारी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 13.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 11.08.2023 के परिपत्र को वीईसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

02. Owing to the fact that many beneficiaries were yet to submit their cards for incorporating the change, one more Circular No.VECC/Admn./CHSS/ 2023/1326 dated 11.08.2023 was issued. The OM dated 13.04.2023 of DAE and Circular dated 11.08.2023 were placed on VECC website for information of all the beneficiaries.

03. हालाँकि, यह पाया गया है कि कई लाभार्थियों ने अभी तक सीएचएसएस कार्ड में संबंधित परिवर्तन हेतु सीएचएसएस अनुभाग से संपर्क नहीं किया है। यह कहना आवश्यक है कि चिकित्सा कार्ड में परिवर्तन को प्रभावी न करने के परिणामस्वरूप, अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा उच्च दर्जे वाले आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके कारण वीईसीसी को लाभार्थियों से आवास के किराए में अंतर राशि की वसूली करनी पड़ रही है, जिससे न केवल गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अस्पताल के ढाँचों के निपटान में भी देरी हो रही है।

However, it is observed that many beneficiaries are yet to approach CHSS Section for incorporation of the change in the CHSS cards. It is to emphasize that non-effecting of the change in medical card is resulting in providing of higher type of accommodation by Hospital Authorities which in turn necessitate VECC to recover the difference in room tariff from the beneficiaries, which is causing not only serious embarrassment but also delay in settlement of hospital claims.

04. उपर्युक्त को देखते हुए, वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थियों, जिनकी आवास पात्रता में परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 13.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर परिवर्तन हुआ है, से अनुरोध है कि वे अपने सीएचएसएस कार्ड तुरंत सीएचएसएस अनुभाग में जमा करें। यह ध्यान देने योग्य है कि इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए संबंधित कार्ड जमा नहीं करने पर, ऐसे सीएचएसएस कार्ड दिनांक 01.08.2024 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

In view of the above, all CHSS beneficiaries of VECC whose accommodation entitlement has undergone change based on OM dated 13.04.2023 of DAE are requested to submit their CHSS cards to CHSS Section immediately. Non-submission of cards for effecting the change will result in deactivation of their CHSS cards w.e.f. 01.08.2024, which may please be noted.

चंद्रा ईलनगोवन
12/11/2024

(चंद्रा ईलनगोवन / Chandra Elangovan)
प्रशासनिक अधिकारी-III/Administrative Officer-III

सभी सीएचएसएस लाभार्थी/
All CHSS Beneficiaries.

प्रतिलिपि/Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. उप लेखा नियंत्रक, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Controller of Accounts, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाउन, कोलकाता-700163 /
Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata - 700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Officer-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Officer-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी / Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association, VECC.